IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
ORIGINAL JURISDICTION
COMPANY APPLICATION (M) NO. 12 OF 2016

In the matter of the Companies Act, 1956 and the Companies Act, 2013, to the extent made effective.

AND

In the matter of Sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956 read with Rules 67 to 87 of the Companies (Court) Rules, 1959 and the provisions of the Companies Act, 2013 to the extent made effective.

AND

In the matter of the Scheme of Arrangement between HCL Technologies Limited and HCL Comnet Limited and their respective shareholders and creditors.

AND

In the matter of HCL Technologies Limited, a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, having its registered office at 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019.

...Transferor Company/ Applicant Company-I

AND

In the matter of HCL Comnet Limited, a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, having its registered office at 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019.

...Transferee Company/ Applicant Company-II

[The Transferor Company and the Transferee Company are collectively referred to as "Applicant Companies"]

NOTICE CONVENING MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF TRANSFEROR COMPANY

Notice is hereby given that by an order, dated January 22, 2016, ("**Order**") the Hon'ble High Court of Delhi at New Delhi (High Court), has directed to convene meeting of the Equity Shareholders of the Transferor Company/ Applicant Company-I for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the scheme of arrangement between HCL Technologies Limited and HCL Comnet Limited and their respective shareholders and creditors ("**Scheme**").

In pursuance of the Order and as directed therein, further notice is hereby given that the meeting of the Equity Shareholders of the Transferor Company/ Applicant Company-I will be held on **Saturday, March 5, 2016 at 11:00 A.M. at Sri Sathya Sai International Centre, Bhishma Pitamah Marg, Lodhi Road, New Delhi-110003**, at which time and place the said Equity Shareholders are requested to attend the court convened meeting.

The notice along with the copy of the Scheme, the explanatory statement, proxy form, attendance slip and other relevant documents in this regard is being separately sent to all the Equity Shareholders of the Transferor Company in terms of the Order of the High Court.

The copies of the aforesaid documents can be obtained free of charge at the registered office of the Transferor Company or from the office of our advocates at Vaish Associates, Advocates, 11th Floor, Mohan Dev Building, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 and can also be downloaded from the website of the Transferor Company (www.hcltech.com).

Persons entitled to attend and vote at the said meeting, may vote in person or by proxy or by authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Transferor Company/ Applicant Company-I at 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019 not later than 48 hours before the said meetings. Proxies submitted on behalf of companies and other body corporate, societies, trust, etc., must be supported by an appropriate resolution, as applicable.

The Transferor Company is also providing its Equity Shareholders, a facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at their meeting by remote e-voting process by using the remote e-voting platform of National Securities Depository Limited ('NSDL') and the process and the manner for exercising the votes through remote e-voting process is explained in Notes to the Notice, already sent.

The remote e-voting shall commence on March 1, 2016 (9:00 a.m. IST) and shall end on March 4, 2016 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module will be disabled and no remote e-voting will be allowed thereafter. During this period the members of the Transferor Company, holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. January 22, 2016 may cast their vote by remote e-voting facility. The facility of voting through ballot paper shall be made available at the meeting to those members, who have not casted their vote by remote e-voting. The members who have casted their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

In case of any queries or issues regarding remote e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("**FAQ's**") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or write an email to evoting@nsdl.co.in or contact NSDL remote e-Voting helpdesk at 1800-222-900.

The High Court has appointed Ms. Tamali Wad, Advocate, to be the Chairperson and Mr. Shekhar Kumar, Advocate, to be the Alternate Chairperson for the meeting of the Equity Shareholders of the Transferor Company/ Applicant Company-I.

The Scheme, if approved in the meeting, will be subject to the subsequent approval of the High Court or any other competent authority.

Sd/-
Tamali Wad
Chairman appointed for the meeting
of the Equity Shareholders of
HCL Technologies Limited

Dated this 4th day of February, 2016
Place: New Delhi

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली
मौलिक न्यायक्षेत्र
कंपनी आवेदन (एम) सं. १२/२०१६

कंपनी अधिनियम, १९५६ और कंपनी अधिनियम, २०१३ के मामले में, जहाँ तक प्रभावी बनाया गया है।

और

कंपनी अधिनियम, १९५६ के अनुभाग ३९१ से ३९४ के साथ पठित कंपनी (न्यायालय) विनियम, १९५९ के नियम ६७ से ८७ और कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के मामले में, जहाँ तक प्रभावी बनाया गया है।

और

एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड और एचसीएल कॉमनेट लिमिटेड और उनके संबद्ध शेयरधारकों और क्रेडिटरों (ऋणदाताओं) के बीच व्यवस्था (रूपांतरण) योजना ("योजना") के मामले में।

और

एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, १९५६ के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी, पंजीकृत कार्यालय : ८०६, सिद्धार्थ, ९६, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-११००१९.

....ट्रांस्फरर कंपनी/आवेदक कंपनी-I

और

एचसीएल कॉमनेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, १९५६ के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी, पंजीकृत कार्यालय : ८०६, सिद्धार्थ, ९६, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-११००१९.

....ट्रांस्फरी कंपनी/आवेदक कंपनी-II

[ट्रांस्फरर कंपनी और ट्रांस्फरी कंपनी को सामुहिक रूप से 'आवेदक कंपनियाँ' कहा जाएगा]

ईक्विटी शेयरधरकों के ट्रांस्फरी कंपनी की बैठक बुलाने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के जनवरी २२, २०१६ दिनांकित एक आदेश (''आदेश'') में ट्रांस्फरर कंपनी/आवेदक कंपनी-I के ईक्विटी शेयरधरकों की बैठक बुलाने का निर्देश है जिसका उद्देश्य एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड और एचसीएल कॉमनेट लिमिटेड और उनके संबद्ध शेयरधारकों और क्रेडिटरों के बीच रूपांतरण योजना (''योजना'') पर विचार करना और यदि उचित लगे तो किसी परिवर्तन के साथ या उसके बिना स्वीकृति देना है।

आदेश और उसमें दिए निर्देशों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ट्रांस्फरर कंपनी/आवेदक कंपनी-I के इक्विटी शेयरधरकों की बैठक **शनिवार, मार्च ५, २०१६ को प्रातः ११:०० बजे श्री सत्य साई इंटरनेशल सेंटर, भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, नई दिल्ली-११०००३ में होगी।** इक्विटी शेयरधरकों से आग्रह है कि निर्धारित समय और स्थान पर न्यायालय की ओर से बुलाई बैठक में उपस्थिति दर्ज करें।

सूचना के साथ योजना की एक कॉपी, व्याख्यात्मक विवरण, प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और इस संबंध में अन्य दस्तावेज़ ट्रांस्फरर कंपनी के सभी इक्विटी शेयरधारकों को अलग से भेजे जा रहे हैं।

कथित दस्तावेज़ों की कॉपियाँ ट्रांस्फरर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या हमारे अधिवक्ता के कार्यालय, वैश एसोसिएट्स, अधिवक्ता, ११ वीं मंज़िल, मोहन देव बिल्डिंग, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली ११०००१ से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं और ट्रांस्फरर कंपनी की वेबसाइट (www.hcltech.com) से डाउनलोड भी किए जा सकते हैं।

संबंधित बैठक में भाग लेने और मतदान करने के अधिकारी खुद या अपने प्रॉक्सी या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से मतदान कर सकते हैं बशर्ते सभी प्रॉक्सी के आवेदन ट्रांस्फरर कंपनी/आवेदक कंपनी-I के पंजीकृत कार्यालय - ८०६, सिद्धार्थ, ९६, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-११००१९ में संबंधित बैठकों से कम से कम ४८ घंटे पहले अवश्य जमा हो जाएँ। कंपनियों और अन्य निकायों कॉर्पोरेट, सोसायटी, ट्रस्ट आदि की ओर से जमा प्रॉक्सी के आवेदन के साथ उचित रिज़ॉल्यूशन, जो लागू हो, का जमा होना भी आवश्यक है।

ट्रांस्फरर कंपनी अपने इक्विटी शेयरधारकों को संबंधित बैठक में विचाराधीन प्रस्तावित रिज़ॉल्यूशन पर रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया से मतदान करने की सुविधा नेशनल सेक्युरीटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') के रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म से दे रही है। रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया से मतदान करने की प्रक्रिया और प्रविधि की विस्तृत जानकारी पहले ही प्रेषित सूचना की टिप्पणियों में दी गई है।

रिमोट ई-वोटिंग का आरंभ १ मार्च, २०१६ (प्रातः ९.०० बजे भारतीय मानक समय) और अंत ४ मार्च, २०१६ (सायं ५.०० बजे भारतीय मानक समय) को होगा। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय (डिसेबल) कर दिया जाएगा और रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। कट-ऑफ की तिथि अर्थात् जनवरी २२, २०१६ को वास्तविक या डीमैटेरियलाइज़्ड रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक ही इस अवधि में रिमोट ई-वोटिंग से मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग से मतदान नहीं करने वालों कंपनी के सदस्य को बैठक में मतदान पत्र से मतदान करने का अधिकार होगा। बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग से मतदान कर चुके सदस्य भी बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें दुबारा मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

यदि रिमोट ई-वोटिंग पर कोई प्रश्न या समस्या हो तो कृपया 'फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ("FAQ") और www.evoting.nsdl.com के सहायता अनुभाग में उपलब्ध ई-वोटिंग मैन्युअल देखें या evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल करें या एनएसडीएल रिमोट ई-वोटिंग हेल्पडेस्क से १८००-२२२-९०० पर संपर्क करें।

उच्च न्यायालय ने ट्रांस्फरर कंपनी/आवेदक कंपनी-I के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक के लिए सुश्री तमाली वाड, अधिवक्ता को अध्यक्ष और श्री शेखर कुमार, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

योजना के लिए बैठक में स्वीकृति के बाद उच्च न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक है।

हस्ता/-
तमाली वाड
अध्यक्ष, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के
इक्विटी शेयरधारकों की बैठक
के लिए नियुक्त

आज दिनांक ४ फरवरी, २०१६
स्थान: नई दिल्ली

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
ORIGINAL JURISDICTION
COMPANY APPLICATION (M) NO. 12 OF 2016

In the matter of the Companies Act, 1956 and the Companies Act, 2013, to the extent made effective.

AND

In the matter of Sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956 read with Rules 67 to 87 of the Companies (Court) Rules, 1959 and the provisions of the Companies Act, 2013 to the extent made effective.

AND

In the matter of the Scheme of Arrangement between HCL Technologies Limited and HCL Comnet Limited and their respective shareholders and creditors.

AND

In the matter of HCL Technologies Limited, a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, having its registered office at 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019.

...Transferor Company/ Applicant Company-I

AND

In the matter of HCL Comnet Limited, a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, having its registered office at 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019.

...Transferee Company/ Applicant Company-II

[The Transferor Company and the Transferee Company are collectively referred to as "Applicant Companies"]

NOTICE CONVENING MEETING OF THE SECURED CREDITORS OF TRANSFEROR COMPANY

Notice is hereby given that by an order, dated January 22, 2016, **("Order")** the Hon'ble High Court of Delhi at New Delhi **("High Court")**, has directed to convene meeting of the Secured Creditors of the Transferor Company/ Applicant Company-I for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the scheme of arrangement between HCL Technologies Limited and HCL Comnet Limited and their respective shareholders and creditors **("Scheme").**

In pursuance of the Order and as directed therein, further notice is hereby given that the meeting of the Secured Creditors of the Transferor Company/ Applicant Company-I will be held on **Saturday, March 5, 2016 at 03:00 P.M. at Sri Sathya Sai International Centre, Bhishma Pitamah Marg, Lodhi Road, New Delhi-110003,** at which time and place the said Secured Creditors are requested to attend the court convened meeting.

The notice along with the copy of the Scheme, the explanatory statement, proxy form, attendance slip in this regard is being sent to all the Secured Creditors of the Transferor Company in terms of the Order of the High Court.

The copies of the aforesaid documents can be obtained free of charge at the registered office of the Transferor Company or from the office of our advocates at Vaish Associates, Advocates, 11th Floor, Mohan Dev Building, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 and can also be downloaded from the website of the Transferor Company (www.hcltech.com).

Persons entitled to attend and vote at the said meeting, may vote in person or by proxy or by authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Transferor Company/ Applicant Company-I at 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019 not later than 48 hours before the said meeting. Proxies submitted on behalf of companies and other body corporate, societies, trust, etc., must be supported by an appropriate resolution, as applicable.

The High Court has appointed Mr. Manish Bishnoi, Advocate, to be the Chairperson and Mr. Ashish Garg, Advocate, to be the Alternate Chairperson for the meeting of the Secured Creditors of the Transferor Company/ Applicant Company-I.

The Scheme, if approved in the meeting, will be subject to the subsequent approval of the High Court or any other competent authority.

Sd/-
Manish Bishnoi
Chairman appointed forthe meeting
of the Secured Creditors of
HCL Technologies Limited

Dated this 5th day of February, 2016
Place: New Delhi

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

मौलिक न्यायक्षेत्र

कंपनी आवेदन (एम) सं. १२/२०१६

कंपनी अधिनियम, १९५६ और कंपनी अधिनियम, २०१३ के मामले में, जहाँ तक प्रभावी बनाया गया है।

और

कंपनी अधिनियम, १९५६ के अनुभाग ३९१ से ३९४ के साथ पठित कंपनी (न्यायालय) विनियम, १९५९ के नियम ६७ से ८७ और कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के मामले में, जहाँ तक प्रभावी बनाया गया है।

और

एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड और एचसीएल कॉमनेट लिमिटेड और उनके संबद्ध शेयरधारकों और क्रेडिटरों (ऋणदाताओं) के बीच व्यवस्था (रूपांतरण) योजना ("योजना") के मामले में।

और

एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, १९५६ के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी, पंजीकृत कार्यालय : ८०६, सिद्धार्थ, ९६, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-११००१९.

....ट्रांस्फरर कंपनी/आवेदक कंपनी-I

और

एचसीएल कॉमनेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, १९५६ के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी, पंजीकृत कार्यालय : ८०६, सिद्धार्थ, ९६, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-११००१९.

....ट्रांस्फरी कंपनी/आवेदक कंपनी-II

[ट्रांस्फरर कंपनी और ट्रांस्फरी कंपनी को सामुहिक रूप से 'आवेदक कंपनियाँ' कहा जाएगा]

ट्रांस्फरर कंपनी के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बैठक बुलाने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के जनवरी २२, २०१६ दिनांकित एक आदेश ("आदेश") में ट्रांस्फरर कंपनी/आवेदक कंपनी-I के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बैठक बुलाने का निर्देश है जिसका उद्देश्य एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड और एचसीएल कॉमनेट लिमिटेड और उनके संबद्ध शेयरधारकों और क्रेडिटरों के बीच रूपांतरण योजना ("योजना") पर विचार करना और यदि उचित लगे तो किसी परिवर्तन के साथ या उसके बिना स्वीकृति देना है।

आदेश और उसमें दिए निर्देशों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ट्रांस्फरर कंपनी/आवेदक कंपनी-I के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बैठक **शनिवार, मार्च ५, २०१६ को अपराहन् ०३:०० बजे श्री सत्य साई इंटरनेशल सेंटर, भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, नई दिल्ली-११०००३ में होगी।** सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से आग्रह है कि निर्धारित समय और स्थान पर न्यायालय की ओर से बुलाई बैठक में उपस्थिति दर्ज करें।

सूचना के साथ योजना की एक कॉपी, व्याख्यात्मक विवरण, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा ट्रांस्फरर कंपनी के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भेजे जा रहे हैं।

कथित दस्तावेज़ों की कॉपियाँ ट्रांस्फरर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या हमारे अधिवक्ता के कार्यालय, वैश एसोसिएट्स, अधिवक्ता, ११ वीं मंज़िल, मोहन देव बिल्डिंग, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली ११०००१ से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं और ट्रांस्फरर कंपनी की वेबसाइट (www.hcltech.com) से डाउनलोड भी किए जा सकते हैं।

संबंधित बैठक में भाग लेने और मतदान करने के अधिकारी खुद या अपने प्रॉक्सी या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से मतदान कर सकते हैं बशर्ते सभी प्रॉक्सी के आवेदन ट्रांस्फरर कंपनी/आवेदक कंपनी-I के पंजीकृत कार्यालय - ८०६, सिद्धार्थ, ९६, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-११००१९ में संबंधित बैठक से कम से कम ४८ घंटे पहले अवश्य जमा हो जाएँ। कंपनियों और अन्य निकायों कॉर्पोरेट, सोसायटी, ट्रस्ट आदि की ओर से जमा प्रॉक्सी के आवेदन के साथ उचित रिज़ॉल्यूशन, जो लागू हो, का जमा होना भी आवश्यक है।

उच्च न्यायालय ने ट्रांस्फरर कंपनी/आवेदक कंपनी-I के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बैठक के लिए श्री मनीश बिश्नोई, अधिवक्ता को अध्यक्ष और श्री आशीष गर्ग, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

योजना के लिए बैठक में स्वीकृति के बाद उच्च न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक है।

हस्ता/-

मनीश बिश्नोई

अध्यक्ष, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बैठक के लिए नियुक्त

आज दिनांक ५ फरवरी, २०१६

स्थान: नई दिल्ली

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
ORIGINAL JURISDICTION
COMPANY APPLICATION (M) NO. 12 OF 2016

In the matter of the Companies Act, 1956 and the Companies Act, 2013, to the extent made effective.

AND

In the matter of Sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956 read with Rules 67 to 87 of the Companies (Court) Rules, 1959 and the provisions of the Companies Act, 2013 to the extent made effective.

AND

In the matter of the Scheme of Arrangement between HCL Technologies Limited and HCL Comnet Limited and their respective shareholders and creditors.

AND

In the matter of HCL Technologies Limited, a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, having its registered office at 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019.

...Transferor Company/ Applicant Company-I

AND

In the matter of HCL Comnet Limited, a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, having its registered office at 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019.

...Transferee Company/ Applicant Company-II

[The Transferor Company and the Transferee Company are collectively referred to as "Applicant Companies"]

NOTICE CONVENING MEETING OF THE UNSECURED CREDITORS OF TRANSFEROR COMPANY

Notice is hereby given that by an order, dated January 22, 2016, ("**Order**") the Hon'ble High Court of Delhi at New Delhi ("**High Court**"), has directed to convene meeting of the Unsecured Creditors of the Transferor Company/ Applicant Company-I for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the scheme of arrangement between HCL Technologies Limited and HCL Comnet Limited and their respective shareholders and creditors ("**Scheme**").

In pursuance of the Order and as directed therein, further notice is hereby given that the meeting of the Unsecured Creditors of the Transferor Company/ Applicant Company-I will be held on **Saturday, March 5, 2016 at 01:00 P.M. at Sri Sathya Sai International Centre, Bhishma Pitamah Marg, Lodhi Road, New Delhi-110003**, at which time and place the said Unsecured Creditors are requested to attend the court convened meeting.

The notice along with the copy of the Scheme, the explanatory statement, proxy form, attendance slip in this regard is being sent to all the Unsecured Creditors of the Transferor Company, in terms of the Order of the High Court.

The copies of the aforesaid documents can be obtained free of charge at the registered office of the Transferor Company or from the office of our advocates at Vaish Associates, Advocates, 11th Floor, Mohan Dev Building, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 and can also be downloaded from the website of the Transferor Company (www.hcltech.com).

Persons entitled to attend and vote at the said meeting, may vote in person or by proxy or by authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Transferor Company/ Applicant Company-I at 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019 not later than 48 hours before the said meeting. Proxies submitted on behalf of companies and other body corporate, societies, trust, etc., must be supported by an appropriate resolution, as applicable.

The High Court has appointed Mr. Sanjay Katyal, Advocate, to be the Chairperson and Mr. Rajat Malhotra, Advocate, to be the Alternate Chairperson for the meeting of the Unsecured Creditors of the Transferor Company/ Applicant Company-I.

The Scheme, if approved in the meeting, will be subject to the subsequent approval of the High Court or any other competent authority.

Sd/-
Sanjay Katyal
Chairman appointed for the meeting
of the Unsecured Creditors of
HCL Technologies Limited

Dated this 4th day of February, 2016
Place: New Delhi

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

मौलिक न्यायक्षेत्र

कंपनी आवेदन (एम) सं. १२/२०१६

कंपनी अधिनियम, १९५६ और कंपनी अधिनियम, २०१३ के मामले में, जहाँ तक प्रभावी बनाया गया है।

और

कंपनी अधिनियम, १९५६ के अनुभाग ३९१ से ३९४ के साथ पठित कंपनी (न्यायालय) विनियम, १९५९ के नियम ६७ से ८७ और कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के मामले में, जहाँ तक प्रभावी बनाया गया है।

और

एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड और एचसीएल कॉमनेट लिमिटेड और उनके संबद्ध शेयरधारकों और क्रेडिटरों (ऋणदाताओं) के बीच व्यवस्था (रूपांतरण) योजना ("योजना") के मामले में।

और

एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, १९५६ के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी, पंजीकृत कार्यालय : ८०६, सिद्धार्थ, ९६, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-११००१९.

....ट्रांस्फरर कंपनी/आवेदक कंपनी-I

और

एचसीएल कॉमनेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, १९५६ के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी, पंजीकृत कार्यालय : ८०६, सिद्धार्थ, ९६, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-११००१९.

....ट्रांस्फरी कंपनी/आवेदक कंपनी-II

[ट्रांस्फरर कंपनी और ट्रांस्फरी कंपनी को सामुहिक रूप से 'आवेदक कंपनियाँ' कहा जाएगा]

ट्रांस्फरर कंपनी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बैठक बुलाने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के जनवरी २२, २०१६ दिनांकित एक आदेश ("आदेश") में ट्रांस्फरर कंपनी/आवेदक कंपनी-I के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बैठक बुलाने का निर्देश है जिसका उद्देश्य एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड और एचसीएल कॉमनेट लिमिटेड और उनके संबद्ध शेयरधारकों और क्रेडिटरों के बीच रूपांतरण योजना ("योजना") पर विचार करना और यदि उचित लगे तो किसी परिवर्तन के साथ या उसके बिना स्वीकृति देना है।

आदेश और उसमें दिए निर्देशों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ट्रांस्फरर कंपनी/आवेदक कंपनी-I के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बैठक **शनिवार, मार्च ५, २०१६ को अपराहन् ०१:०० बजे श्री सत्य साई इंटरनेशल सेंटर, भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, नई दिल्ली-११०००३ में होगी।** अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से आग्रह है कि निर्धारित समय और स्थान पर न्यायालय की ओर से बुलाई बैठक में उपस्थिति दर्ज करें।

सूचना के साथ योजना की एक कॉपी, व्याख्यात्मक विवरण, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा ट्रांस्फरर कंपनी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भेजे जा रहे हैं।

कथित दस्तावेज़ों की कॉपियाँ ट्रांस्फरी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या हमारे अधिवक्ता के कार्यालय, वैश एसोसिएट्स, अधिवक्ता, ११ वीं मंज़िल, मोहन देव बिल्डिंग, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली ११०००१ से नि:शुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं और ट्रांस्फरर कंपनी की वेबसाइट (www.hcltech.com) से डाउनलोड भी किए जा सकते हैं।

संबंधित बैठक में भाग लेने और मतदान करने के अधिकारी खुद या अपने प्रॉक्सी या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से मतदान कर सकते हैं बशर्ते सभी प्रॉक्सी के आवेदन ट्रांस्फरर कंपनी/आवेदक कंपनी-I के पंजीकृत कार्यालय - ८०६, सिद्धार्थ, ९६, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-११००१९ में संबंधित बैठक से कम से कम ४८ घंटे पहले अवश्य जमा हो जाएँ। कंपनियों और अन्य निकायों कॉर्पोरेट, सोसायटी, ट्रस्ट आदि की ओर से जमा प्रॉक्सी के आवेदन के साथ उचित रिज़ॉल्यूशन, जो लागू हो, का जमा होना भी आवश्यक है।

उच्च न्यायालय ने ट्रांस्फरर कंपनी/आवेदक कंपनी-I के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बैठक के लिए श्री संजय कत्याल, अधिवक्ता को अध्यक्ष और श्री रजत मल्होत्रा, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

योजना के लिए बैठक में स्वीकृति के बाद उच्च न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक है।

हस्ता/-

संजय कत्याल

अध्यक्ष, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बैठक के लिए नियुक्त

आज दिनांक ४ फरवरी, २०१६

स्थान: नई दिल्ली